न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 192/2019 दायर दिनाँक 07.08.2019

वादी		प्रतिवादी
1. धनराज चौधरी पुत्र खेताराम आयु 64 वर्ष जाति जाट निवासी लाछड़ी तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0 हाल आवाद प्लॉट नं0 46 रोशन नगर–बी, सी.सी.रोड़ जयपुर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री रामेश्वरलाल भाकर एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 09.12.2024

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा सं0 601/30 रकबा 2.18 हैक्टे0 किस्म बारानी प्रथम ग्राम पाण्डोराई पटवार क्षेत्र मावा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दयालपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर में अवस्थित है। जिसका वादी एक मात्र खातेदार, काश्तकार निरंतर एवं निर्बाध रूप से अनवरत चला आ रहा है।

यह है कि जमाबन्दी खतौनी में सहवन से वादी का नाम धन्नाराम पुत्र खेताराम दर्ज है जबकि वादी का सही नाम धनराज चौधरी पुत्र खेताराम है इसी प्रकार आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक एवं अन्य दस्तावेजों में भी वी का नाम धनराज चौधरी पुत्र खेताराम है। सहवन से खतौनी में वादी का नाम धनराज चौधरी के स्थान पर धन्नाराम दर्ज हो गया है जिसको दुरूत किया जाना न्यायोचित एवं प्रार्थनीय है जिसके सम्बन्ध में वादी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लाइसेंस की प्रमाणित प्रतियां संलग्न पेश है। इस कारण दुरूस्ती का दवा पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

यह है कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादी का नाम पैरा सं0 1 में वर्णित खसरा की भूमि की जमाबन्दी में धन्नाराम पुत्र खेताराम के स्थान पर धनराज चौधरी पुत्र खेताराम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त कर दर्ज किया जावें व इसी अनुरूप खतौनी में अमल दरामद किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक/रीडर/2023/87 दिनांक 30.01.2023 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 601/30 रकबा 2.18 हैक्टे0 वाके सरहद [illegible]राई पटवार क्षेत्र मावा में दर्ज खातेदार का नाम धन्नाराम पुत्र खेताराम के स्थान पर धनराज चौधरी पुत्र खेताराम किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.10.14 14:21:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

प्रस्तुत वाद में सरहद ग्राम पाण्डोराई के सं0 601/30 रकबा 2.18 हैक्टे0 में धन्नाराम पुत्र खेताराम के स्थान पर धनराज चौधरी पुत्र खेताराम दुरूस्त करने की वादी इस्तदुआ कर रहा है। वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों व तहसीलदार डीडवाना द्वारा पेश तथ्यात्मक रिर्पोट क्रमांक/रीडर/2023/87 दिनांक 30.01.2023 से वादी का नाम धनराज चौधरी होना पुष्ट होता है। अतः तहसीलदार डीडवाना की तथ्यात्मक रिर्पोट व दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रार्थना-पत्र पुष्ट होता है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वाद स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर, सरहद ग्राम पाण्डोराई के सं0 न. 601/30 रकबा 2.18 हैक्टे0 में दर्ज खातेदार का नाम धन्नाराम पुत्र खेताराम के स्थान पर धनराज चौधरी पुत्र खेताराम दुरूस्त किया जाता है।

तहसीलदार डीडवाना की तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक/रीडर/2023/87 दिनांक 30.01.2023 उक्त निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **09.12.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.10.14 14:21:53 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः— उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

बइजलास : पीठासीन अधिकारीः— **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 192/2019 दायर दिनाँक 07.08.2019

प्रार्थी		अप्रार्थी
1. धनराज चौधरी पुत्र खेताराम आयु 64 वर्ष जाति जाट निवासी लाछड़ी तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0 हाल आबाद प्लॉट नं0 46 रोशन नगर—बी, सी.सी.रोड़ जयपुर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 09.12.2024

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रामेश्वरलाल भाकर एडवोकेट प्रार्थी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर, सरहद ग्राम पाण्डोराई के ख0नं0 601/30 रकबा 2.18 हैक्टे0 में दर्ज खातेदार का नाम धन्नाराम पुत्र खेताराम के स्थान पर धनराज चौधरी पुत्र खेताराम दुरूस्त किया जाता है।

तहसीलदार डीडवाना की तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक/रीडर/2023/87 दिनांक 30.01.2023 उक्त निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 09.12.2024 को सरे इजलास में जारी की गयी।

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना।

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			महनताना वकील		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील	—		फिस कमिश्नर		
खर्चा गवाहान	—		बाबत इजराय		
फिस कमिश्नर			हु[illegible]		
बाबत इजराय			मु[illegible]		
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक			मिजान		
मिजान					

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल [illegible] को, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.10.14 14:21:53 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना